रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 1990/कार्तिक 29, 1912
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1990/KARTIKA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1990

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि), विनियम, 1990

सं. 3590/डी एफ :—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

(1) (i) इन विनियमों का नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम, 1990 है।

(ii) ये विनियम, 199 ... से लागू होंगे।

(2) परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो इन विनियमों के अन्तर्गत—

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) है।

(2) "प्रशासक" से अभिप्राय इस निधि के प्रशासक है।

(3) "प्रबंध निदेशक" से अभिप्राय लघु उद्योग बैंक के प्रबंध निदेशक है।

(4) "निधि" से अभिप्राय विनियम 3 के अन्तर्गत गठित निधि है।

(5) "स्थानांतरित कर्मचारी" से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जो इस अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) की शर्तों के अनुसार लघु उद्योग बैंक के कर्मचारी वर्ग का सदस्य बन चुका है परन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने नियत तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर, विकास बैंक में वापस जाने के लिए चयन किया है।

(6) इन विनियमों और इस अधिनियम में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है परन्तु जिनकी परिभाषा नहीं की गई है, उनका इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ क्रमशः वही अर्थ होगा जो कि उनके संबंध में निर्धारित किया गया है।

(3) गठन :—एक निधि का गठन किया जाएगा जो "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि" कही जाएगी।

(4) प्रशासन :—यह निधि लघु उद्योग बैंक द्वारा रखी जाएगी और इसका प्रशासन प्रशासकों की एक समिति द्वारा किया जाएगा,

जिसमें इसके प्रबंध निदेशक, बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य निदेशक, एक कार्यपालक निदेशक या महा प्रबंधक तथा तीन अन्य व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक अधिकारियों, दूसरा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों तथा तीसरा अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। ये चारों, प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे। विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस निधि के प्रशासक इन विनियमों के अधीन इस निधि की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कार्य करने के हकदार होंगे।

(5) प्रशासकों की बैठक :—प्रशासकों की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अथवा नामित निदेशकों में से एक निदेशक करेगा। कारबार के संव्यवहार के लिए कोरम की पूर्ति के लिए कम से कम तीन प्रशासकों की उपस्थिति जरूरी होगी जिनमें से एक प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या नामित निदेशकों में से एक निदेशक होगा। प्रत्येक प्रशासक का एक वोट होगा और समान विभाजन के सभी मामलों में बैठक के अध्यक्ष का वोट निर्णायक मत होगा।

(6) लेखा-विवरण :—इस निधि के लेखे वर्ष में 31 मार्च को तैयार किए जाएंगे और इन लेखों का उस तारीख तक का लेखा-परीक्षित विवरण प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक अथवा उसके बाद किसी ऐसी तारीख को, जिसे प्रशासक अनुमति प्रदान करें, प्रशासकों की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, तथा ऐसी बैठक के बाद यथासीघ्र, विवरण की एक प्रति प्रत्येक कार्यालय और शाखा में अभिदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) किन-किन के लिए सदस्यता अनिवार्य है :—(1) लघु उद्योग बैंक का प्रत्येक स्थायी कर्मचारी इस निधि में अभिदान के लिए आबद्ध होगा।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसे किसी पद पर परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाता है, यदि स्थायी बना दिया जाता है तो वह एक स्थायी कर्मचारी बन जाएगा और वह अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से इन विनियमों के प्रयोजनार्थ एक स्थायी कर्मचारी समझा जाएगा।

(3) (क) ऐसे कर्मचारी से भिन्न अस्थायी कर्मचारी, जो किसी अन्य निधि में पहले से अंशदान कर रहा है, इस निधि में अभिदान कर सकता है, यदि उसे ऐसा करने के लिए प्रशासकों द्वारा अनुमति दी जाए।

(ख) लघु उद्योग बैंक से नैमित्तिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी इस निधि में अभिदान कर सकता है, यदि उसे ऐसा करने की प्रशासकों द्वारा अनुमति दी जाए :

परन्तु इस निधि में ऐसे व्यक्ति के नाम यदि कोई रकम जमा है और यह विनियम 19 के उपबंधों के कारण उसे संदेय हो जाती है, तो अपवादिक मामलों में ऐसी रकम यदि ऐसी अनुमति प्रशासकों द्वारा दी जाए तो ऐसे समय तक इस निधि में उसके नाम जमा रहेगी जब तक कि वह लघु उद्योग बैंक से नैमित्तिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करता है और विनियम 18 में दी गई किसी बात के होते हुए भी ऐसी रकम पर ब्याज उपचित होगा।

(4) विनियम 3 के अन्तर्गत इस निधि का सृजन किए जाने पर प्रत्येक स्थानांतरित कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इसका सदस्य बन गया है और वह इन विनियमों के अनुसार इस निधि में अंशदान करने के लिए बाध्य होगा।

(8) (1) प्रत्येक स्थानांतरित कर्मचारी के नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में जमा शेष राशि इस निधि में स्थानांतरित हो जाएगी और वह इस निधि में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।

(2) प्रशासक किसी भी ऐसे कर्मचारी के अनुरोध पर, जिसके लिए विनियम 7 के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान करना जरूरी है या जिसे इसकी अनुमति दी जाती है, के संबंध में उसके भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे में उसको देय किसी राशि को जो ऐसे कर्मचारी के नाम जमा है, उस नियोक्ता द्वारा इस निधि में सीधे अंतरित करने पर प्राप्त कर सकते है।

(3) लघु उद्योग बैंक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह इस विनियम के अधीन निधि में संदत्त किसी रकम के संबंध में कोई अंशदान करे।

(4) यदि लघु उद्योग बैंक के कर्मचारियों के किसी श्रेणी के कर्मचारी को वेतन या भत्तों की कोई बकाया रकम संदेय हो जाती है और लघु उद्योग बैंक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसी बकाया रकम या उसका कोई भाग, यथास्थिति, नकद के रूप में संवितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि यह संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि लेखे में जमा किया जाए तो प्रशासक लघु उद्योग बैंक के अनुरोध पर ऐसे कर्मचारियों के नाम जमा राशि को उनके भविष्य निधि लेखों में इस प्रकार जमा किये जाने के लिए प्राप्त करेगा।

परन्तु शर्त यह है कि लघु उद्योग बैंक से यह अपेक्षा की नहीं जाएगी कि वह इस निधि में संदत्त किन्हीं राशियों के संबंध में कोई अंशदान करे।

(5) इन विनियमों में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उस समय तक जब तक कि कोई सहयोगी संस्था आवश्यक विनियम या नियम, यथास्थिति, तैयार करने के पश्चात् अपने स्वयं की भविष्य निधि स्थापित नहीं कर लेती, प्रशासक अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्तियों से अभिदान, जो सहयोगी संस्थाओं के कर्मचारी हैं और उनकी ओर से नियोक्ता सहयोगी-संस्थाओं द्वारा अंशदान प्राप्त कर सकते हैं तथा इस निधि में ऐसे अभिदान और अंशदान रखेंगे एवं उनके लेखों का रखरखाव करेंगे और करते रहेंगे और इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अभिदाता लघु उद्योग बैंक के कर्मचारी नहीं है अथवा नहीं रह गये हैं, ऐसे लेखों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग प्रशासकों अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाए जिन्हें इस प्रयोजनार्थ प्रशासक नामित करें।

स्पष्टीकरण :—इस विनियम के प्रयोजनार्थ एक संस्था को एक एक "सहयोगी संस्था" समझा जाएगा, यदि ऐसी संस्था की पूंजी में लघु उद्योग बैंक के 40 प्रतिशत शेयर हैं या कम से कम इतने शेयर रहे थे।

(9) अभिदान की दर (i) अभिदान की दर, उस तारीख से, जिससे अभिदाता अभिदान प्रारम्भ करता है, अभिदाता द्वारा स्वयं अपने वेतन की अधिकतम 10% और न्यूनतम 5% की दर से नियत की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किये गये अभिदान के अतिरिक्त कोई भी अभिदाता इस निधि में विनियम 9(1) के अधीन अभिदत्त राशि घटाकर अपने वेतन की राशि तक अभिदान कर सकता है परन्तु यह उसके वेतन के 5% से कम नहीं होगा।

(3) उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लघु उद्योग बैंक को एक नोटिस देगा, जिसमें इससे संलग्न भविष्य-निधि फार्म 7 में अभिदान की दर का उल्लेख किया जाएगा।

(4) लघु उद्योग बैंक द्वारा ऐसे अभिदान की कटौती उसके मासिक वेतन से पूर्ण रुपये में आकलित राशि के रूप में कर ली जाएगी। अभिदाता द्वारा एक बार जब अभिदान की दर तय कर दी जाती है तो इसमें परिवर्तन उसकी इस इच्छा की लिखित सूचना मिलने पर ही किया जाएगा जो कि उसके द्वारा कम से कम एक महीने पहले उस अधिकारी को दी गई हो जो उसे भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

स्पष्टीकरण : —इस विनियम में अभिव्यक्ति "वेतन" में

(i) मूल वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वैयक्तिक वेतन, समुद्र-पारीय वेतन और स्थानापन्न वेतन शामिल है।

(ii) कोई भत्ता या अन्य परिलब्धि तब तक शामिल नहीं है, जब तक इसका बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकरण नहीं किया गया हो।

(10) छुट्टी पर रहते हुए अभिदाता का अभिदान : —छुट्टी पर अनुपस्थित रहने वाले अभिदाता के अभिदान का निर्धारण ऐसी अनुपस्थिति के दौरान उसके छुट्टी वेतन के आधार पर किया जाएगा परन्तु ऐसे किसी भी अभिदाता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपने पूरे वेतन की रकम के आधार पर अभिदान करे, परन्तु ऐसा करने की उसकी इच्छा की लिखित सूचना उसके द्वारा अपने छुट्टी वेतन के प्रथम भुगतान से कम से कम 14 दिन पहले उस अधिकारी को दी जाती है जो उसे भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है।

(11) लघु उद्योग बैंक का अंशदान : —इन विनियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर लघु उद्योग बैंक इस निधि में एक अभिदाता द्वारा प्रतिमास जितनी राशि अभिदत्त की जाती है उसके बराबर राशि का अंशदान करेगा, परन्तु लघु उद्योग बैंक द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (iii) तथा विनियम 9 के उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत अनुमति दिए गए अभिदानों के मामले में कोई ऐसा अंशदान नहीं किया जाएगा।

यह और कि विनियम 7 के उप विनियम (iii) के अंतर्गत अभिदान करने वाले ऐसे अस्थायी कर्मचारी के मामले में, जिसकी बाद में लघु उद्योग बैंक में स्थायी नियुक्ति कर दी जाती है, लघु उद्योग बैंक उस कर्मचारी के स्थायी बना दिए जाने पर उसकी अस्थायी सेवा के दौरान उसके द्वारा अभिदत्त राशि के बराबर रकम का अंशदान करेगा।

यह और कि ऐसे अभिदाता के मामले में जिसे विनियम 7 के उप-विनियम (iii) के अन्तर्गत अभिदान करने की अनुमति दी गई है, लघु उद्योग बैंक अंशदान करने के लिए केवल तभी जिम्मेदार होगा जब कि ऐसे अभिदाता की सेवा-शर्तों में यह व्यवस्था है कि लघु उद्योग बैंक ऐसा अंशदान करे।

(12) विनियम 11 में निहित किसी बात के होते हुए जहां भी अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक**** की सेवा-शर्तों में यह उपबंध है कि वह इस निधि में अपना अभिदान करे, तो लघु उद्योग बैंक ऐसी सेवा-शर्तों के अन्तर्गत उस तारीख से जो लागू हो इस निधि में उसके लेखे में प्रतिमास इतनी रकम का, यदि कोई हो, जितकी उक्त सेवा शर्तों में व्यवस्था की गई हो, अंशदान करेगा।

(13) ब्याज : —लघु उद्योग बैंक प्रत्येक छह महीने के अन्त में प्रत्येक अभिदाता के नाम जमा रकम पर ऐसी दर से ब्याज जमा करेगा, जो उस प्रतिलाभ को ध्यान में रखकर लघु-उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियमों, योजनाओं या दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य अभिदत्त निधि, धर्मार्थ, धार्मिक और न्यास तथा अर्धन्यास निधियों में पूंजी निवेश से प्राप्त किए जा सकते हैं। परन्तु शर्त यह है कि ब्याज की दर विकास बैंक द्वारा उसके कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में दी गई दर के बराबर** होगी। ऐसा ब्याज प्रत्येक अभिदाता के मासिक गुणनफल के आधार पर पूर्ण रुपये तक आकलित किया जाएगा तथा 31 मार्च और 30 सितम्बर को अर्धवार्षिक लेखों पर लागू किया जाएगा।

(14) प्रत्येक अभिदाता के लेखे का वार्षिक विवरण : —प्रत्येक अभिदाता प्रशासक से एक वार्षिक विवरण प्राप्त करेगा, जिसमें निधि में उसके नाम जमा राशि का उल्लेख किया जाएगा।

(15) निधि से उधार लेना : — (i) अभिदाता द्वारा आवेदन किये जाने पर लघु उद्योग बैंक स्वविवेकानुसार एक अस्थायी अग्रिम, जिसकी राशि अभिदाता के अपने अभिदानों और उस पर लगे ब्याज से किसी भी मामले में निधि में उसके नाम जमा राशि से अधिक नहीं होगी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर किया जा सकता है : —

(क) लघु उद्योग बैंक आश्वस्त हो कि यह राशि निम्नलिखित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी और अन्यथा नहीं : —

(1) अभिदाता या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी या अशक्तता के संबंध में किए गए खर्च के भुगतान के लिए, जहां कहीं जरूरी हो, उसमें यात्रा खर्च भी शामिल है;

(2) अभिदाता अथवा उस पर वास्तव में आश्रित कोई व्यक्ति की उच्च शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए जिसमें, जहां कहीं आवश्यकता हो, यात्रा खर्च भी शामिल है, निम्नलिखित मामलों में, जैसे : —

(क) हाई स्कूल की शिक्षा के स्तर से आगे भारत के बाहर किसी शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक अथवा रोजगारपरक शिक्षा के लिए, और

(ख) स्कूल में दस वर्ष तक सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा करने पर किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी डाक्टरी, इंजीनियरी, तकनीकी, व्यावसायिक या विशेष प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रम के लिए जो डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र की प्राप्ति हेतु है,

(3) अपनी हैसियत के उपयुक्त स्तर तक अनिवार्य खर्च के भुगतान के लिए, जो किसी अभिदाता को अपने स्वयं के या अपने बच्चों या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उस पर वास्तव में आश्रित है, के विवाहों अन्य समारोहों के संबंध में खर्च करना है :

परन्तु यह कि वास्तविक आश्रयदाता की शर्त अभिदाता के पुत्र या पुत्री अथवा अभिदाता के माता-पिता के अन्त्येष्टि-संस्कार का खर्च पूरा करने के लिए अपेक्षित अग्रिम में लागू नहीं होगी;

(4) अपनी कार्यालयीन ड्यूटी निभाने में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य अथवा अभिप्रेत किसी कार्य के किये जाने के संबंध में उसके विरुद्ध लगाये गए किसी आरोप के संबंध में, उसकी स्थिति को निर्दोष ठहराने के लिए अभिदाता द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही का खर्च पूरा करने के लिए इस मामले में अग्रिम किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा जो लघु उद्योग बैंक से किसी अतिरिक्त अन्य स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है :

परन्तु शर्त यह है कि इस उप-खंड के अंतर्गत किसी भी ऐसे अभिदाता को जो या तो अपनी कार्यालयीन ड्यूटी से असंबद्ध किसी मामले या किसी सेवा शर्त अथवा उस पर लगाये गए अर्थदंड के संबंध में लघु उद्योग बैंक के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करता है, अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा;

(5) यदि किसी न्यायालय में लघु उद्योग बैंक द्वारा अभिदाता पर अभियोजन चलाया गया है तो अपने बचाव का खर्च पूरा करने के लिए;

(6) कोई ऐसा अन्य खर्च या दायित्व को पूरा करने के लिए जो लघु उद्योग बैंक की राय में अप्रत्याशित और असाधारण तथा अभिदाता के सामान्य साधनों के बाहर है।

(ख) किन्हीं विशेष कारणों से सिवाय कोई भी अग्रिम,

(1) 3 महीने के वेतन ("वेतन" जिसकी परिभाषा विनियम 9 के स्पष्टीकरण में दी गई है) या इस निधि में अभिदाता के अपने स्वयं के अभिदानों की आधी राशि और उस पर लगे ब्याज, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं; या

(2) तब तक मंजूर न किया जाए जब तक कि पिछले अग्रिम की अंतिम अदायगी न कर दी गई हो।

(ii) (क) अभिदाता से कोई भी अग्रिम उन समान किस्तों में वसूल किया जाएगा जितने लिए लघु उद्योग बैंक निर्देश देगा, परन्तु यह किस्त संख्या 12 से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा करना न चाहे या यह किस्त संख्या 24 से अधिक नहीं होगी बशर्ते ऐसे विशेष मामलों में जहां अग्रिम की राशि तीन महीने के वेतन से अधिक है जैसा कि उप-विनियम (i) के खंड (ख) के अनुसार व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों में लघु उद्योग बैंक किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकता है, परन्तु किसी भी स्थिति में वे 36 से अधिक न हों। अभिदाता अपने विकल्प से एक मास में एक से अधिक किस्तें दे सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे रुपये में होगी, यदि आवश्यक हो तो ऐसी किस्तों के निर्धारण को स्वीकार करने के लिए अग्रिम की राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

(ख) वसूलियां तभी शुरू होंगी, जब कि अभिदाता अग्रिम लेने के बाद पहली बार पूरे महीने का अपना वेतन लेगा। जब कोई अभिदाता पूरे वेतन पर छुट्टी से भिन्न छुट्टी या निर्वाह अनुदान पर हो, अभिदाता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी।

(ग) इस उप-विनियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां ज्यों ही वे कर ली जाती हैं, इस निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जाएंगी।

(16) (1) लघु उद्योग बैंक के विवेकानुसार और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो वह लागू करे अभिदाता को इस निधि में उसके नाम जमा राशि से किसी सहकारी आवास सोसाइटी से शेयर खरीदने या बयाना के रूप में अथवा अन्यथा कोई रकम जमा करने या पैसे भुगतान करने के प्रयोजनार्थ आवेदन देने पर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक मामले में यह केवल अपनी रिहायश के लिए एक उपयुक्त घर या परिसर अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के लिए रिहायश प्राप्त करने के उद्देश्य से हो।

(2) इस विनियम के अन्तर्गत कर्मचारी की सेवा के दौरान केवल एक बार अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी और यह इस निधि में अभिदाता के अभिदानों और उस पर लगे ब्याज की राशि अथवा प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम के लिए आवेदन किया गया है, के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

(3) इस विनियम के अन्तर्गत अग्रिम इतनी मासिक किस्तों, इतने समय तक तथा इतनी राशि में वसूल किया जाएगा जिसके लिए लघु उद्योग बैंक निदेश देगा परन्तु किसी भी मामले में किस्तों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं होगी। अभिदाता अपने विकल्प से एक महीने में एक से अधिक किस्तें दे सकता है और प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपये की होगी।

(17) बीमा पॉलिसी:— (1) लघु उद्योग बैंक द्वारा जारी रखी गई या अनुमोदित बीमा योजना के अन्तर्गत संबंधित अभिदाता की जीवन बीमा पालिसी से संबंधित भुगतान करने के लिए रकमें इस निधि के अभिदानों से रोकी जा सकती हैं या अभिदाता द्वारा इस संबंध में अभिदत्त राशि से (जिसमें इस पर लगा ब्याज भी शामिल है) निकाल जा सकती है। इस अभिदान पर इस प्रकार रोकी गई कोई भी रकम विनियम 11 के अन्तर्गत लघु उद्योग बैंक के अंशदान के आकलन के प्रयोजनार्थ अभिदान का हिस्सा समझी जाएगी।

(2) जहां उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अन्तर्गत अभिदाता द्वारा इस निधि के अभिदानों से रकमें रोक ली जाती हैं या इससे संबद्ध अभिदत्त रकमों से प्रत्याहरित की जाती हैं तो बीमा पालिसी जिसके संबंध में ऐसी रकमें रोक ली जाती हैं या प्रत्याहरित की जाती है व ऐसी पालिसी के संबंध में बीमा किस्त के भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा ऐसी शर्तों पर लघु उद्योग बैंक में अंतरित की जाएंगी जो कि बीमाकर्ता से लघु उद्योग बैंक द्वारा वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, के संबंध में लघु उद्योग बैंक लागू कर सकता है।

(18) ब्याज कब उपचित होना बंद हो जाता है:—इस निधि के खातों में अभिदाता के नाम जमा सभी रकमों पर ब्याज निम्नलिखित अवधि से छह महीने की अवधि समाप्त होने पर उपचित होना बंद हो जाएगा :

(क) जिस दिन वह लघु उद्योग बैंक की नौकरी छोड़ देता है, या

(ख) यदि वह लघु उद्योग बैंक की सेवा ऐसी किसी छुट्टी की समाप्ति पर छोड़ देता है जो उस तारीख से अथवा उस तारीख के बाद आरंभ होती है जिस तारीख को वह लघु उद्योग बैंक की सेवा से निवृत्त हो जाता, अगर वह छुट्टी पर नहीं जाता अथवा छुट्टी की ऐसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती तो उस दिन से जिस दिन ऐसी छुट्टी की अवधि आरंभ होती, अथवा

(ग) यदि लघु उद्योग बैंक की सेवा छोड़ने से पूर्व उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख से परन्तु यह कि किसी भी मामले में छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(i) अभिदाता या किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, जिसे विनियम 25 के अन्तर्गत रकमें संदेय हों, तो उक्त रकमें या उसका कोई भाग संवितरित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, अथवा

(ii) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसरण में उक्त रकमें या उसके किसी भाग का ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश से भुगतान किया जाता है।

उक्त रकमों पर या रकमों के किसी अंश पर, यथास्थिति, जिस तारीख से उन रकमों या उनके किसी अंश को संवितरण के लिए प्राधिकृत किया जाता है या ऐसे न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश पर भुगतान किया जाता है यथास्थिति, ब्याज उचित होना बंद हो जाएगा।

यह और कि उपर्युक्त छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद लघु उद्योग बैंक अपने विवेकानुसार, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता के अधीन न होते हुए, निधि के खातों में अभिदाता के नाम जमा सभी रकमों पर अधिकतम और एक वर्ष के लिए ब्याज की अनुमति दे सकता है लेकिन यह तभी होगा यदि लघु उद्योग बैंक आश्वस्त हो जाए कि अभिदाता या उसके नामिती या नामितियों या विधिक प्रतिनिधियों यथास्थिति को ऐसी रकम का संदाय न किए जाने का कारण अभिदाता या उसके नामिती या नामितियों या विधिक प्रतिनिधियों यथास्थिति से स्तर पर हुआ व्यतिक्रम या भूल नहीं था।

(19) अभिदाता के नाम जमा राशि का भुगतान (1) अभिदाता:— के नाम जमा रकमें उसकी सेवा समाप्ति या उसकी मृत्यु होने पर संदेय हो जाएंगी :

परन्तु यह कि कोई अभिदाता सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है तो अपने विकल्प से इस निधि में उसके नाम जमा रकम में से इतनी राशि आहरित कर सकता है जो इसके अभिदानों और उस पर लगे ब्याज से अधिक न हो :

परन्तु यह भी कि अभिदाता को, जिसमें यह व्यवस्था भी शामिल है जिसे विनियम 7 के खंड (iii) के उप-खंड (ख) अधीन इस निधि में अभिदान करने की अनुमति दी गयी है, लघु उद्योग बैंक अपने विवेकाधिकार में 15 वर्ष की सेवावधि पूरी होने पर किसी भी समय यदि आहरण उप विनियम (ii) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है अथवा 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर यदि आहरण किसी अन्य प्रयोजनों के लिए है और सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व अन्यथा 10 वर्ष

के दौरान या उसकी विनिर्दिष्ट पदावधि की समाप्ति कस तारीख को, यथास्थिति, उप विनियम (ii) (iii) और (iv) में दिए गए प्रयोजनों के लिए तथा उनमें निहित उपबंधों के अधीन इस निधि में उसके नाम जमा रकमों से उतनी राशि आहरित करने की अनुमति दे सकता है, जिसे विनियम 20 में निर्दिष्ट किया गया है।

इसके आगे यह और कि यदि लघु उद्योग बैंक बोर्ड की समिति या लघु उद्योग बैंक का कोई अधिकारी जिसे कि समिति इस उद्देश्य से विनिर्दिष्ट करे तो ऐसे निदेश पर उस रकम में से कटौती की जा सकती है और लघु उद्योग बैंक को भुगतान किया जा सकता है—

(क) लघु उद्योग बैंक के प्रति अभिदाता द्वारा अपने ऊपर लिए गए दायित्व के अन्तर्गत देय कोई राशि जो उसके लेखे में लघु उद्योग बैंक द्वारा अंशदान की गई कुल राशि की सीमा तक है तथा जिसमें उसके संबंध में जमा किया गया ब्याज भी शामिल है ;

या

(ख) जहां अभिदाता को कदाचार या पूर्ण लापरवाही के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है या जहां अभिदाता ने अपनी निरंतर सेवा के आरंभ में पांच वर्ष के भीतर जिसमें अस्थायी सेवा भी शामिल है, लघु उद्योग बैंक के अपने रोजगार से त्याग पत्र दिया है, तो उस संबंध में ब्याज सहित ऐसे अंशदानों की पूरी राशि अथवा उसका कोई भाग।

स्पष्टीकरण :

इन विनियमों के प्रयोजनार्थ विकास बैंक से स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को लघु उद्योग बैंक में उसके द्वारा की गई सेवा समझा जाएगा।

(ii) (क) ऐसी शर्तों के अधीन जो लघु उद्योग बैंक द्वारा लगायी जा सकती है उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत रकम के आहरण की अनुमति निम्नलिखित के लिए दी जा सकती है :

(1) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता पर वास्तव में आश्रित उसके किसी भी ऐसे बच्चे की उच्च शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए जिसमें जहां आवश्यक हो यात्रा खर्च शामिल है, जैसे—

(i) हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक या रोजगार पर पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा के लिए, और

(ii) दस वर्ष के स्कूली अध्ययन के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी डाक्टरी, इंजीनियरी, तकनीकी, व्यावसायिक या विशेषता संबंधी रोजगारपरक पाठ्यक्रम के लिए किसी डिग्री/डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के संबंध में है।

(2) अभिदाता के स्वयं या अभिदाता के पुत्र या पुत्री और यदि उसकी कोई पुत्री नहीं है तो उस पर आश्रित अन्य किसी महिला रिश्तेदार के विवाह का खर्च पूरा करने के संबंध में।

(3) अभिदाता या उस पर वास्तव में कोई आश्रित कोई अन्य व्यक्ति की बीमारी का खर्च पूरा करने के संबंध में जिसमें जहां कहीं आवश्यक हो यात्रा खर्च भी शामिल है।

परन्तु यह कि अभिदाता अपने विकल्प से उसके द्वारा इस-प्रकार प्रत्याहरित संपूर्ण रकम को या उसके किसी भाग को इस निधि में एकमुश्त लौटा सकता है।

(ख) खंड (ग) से (अ) तक उपबंधों के अधीन उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत रकम के प्रत्याहरण की अनुमति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी दी जा सकती है, जैसे :—

(1) मकान या मकान के लिए साइट खरीदने हेतु ;

(2) अभिदाता अथवा अभिदाता के पति/पत्नी या यथास्थिति उन दोनों के संयुक्त नाम पर होने वाले भूखंड पर मकान बनाने के लिए, ऐसे पति/पत्नी इन विनियमों के अन्तर्गत एक नामांकिती के रूप में हो और ऐसा नामांकन प्रत्याहरण के लिए आवेदन की तारीख को अस्तित्व में हो;

(3) ऐसी खरीद या मकान के हेतु, लिए गए ऋण की अदायगी (जिसमें खरीदे गए मकान या साइट अथवा बने बनाये मकान की खरीद पर प्राप्त ऐसा ऋण शामिल है) ;

(4) अभिदाता पहले से जिस मकान का स्वामी है या जिसे उसने अधिगृहित किया है या पैतृक मकान जिसमें अभिदाता पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अभिदाता का अपना हित है, का पुनर्निर्माण या उसमें वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए ;

(5) मकान या किसी साइट के अधिग्रहण के संबंध में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन खर्च की अदायगी ;

परन्तु शर्त यह है कि सिवा ऐसे मामले में जो विनियम 19 के उप-विनियम (v) के अन्तर्गत आता हो, प्रत्याहरणों की अनुमति एक मकान या साइट से अधिक मकान या साइट की प्राप्ति के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(ग) खरीदा गया या बनाया गया मकान स्वयं अभिदाता के लिए होना चाहिए और साइट के मामले में यह स्वयं अभिदाता के मकान निर्माण के लिए होनी चाहिए, मकान या साइट ऐसे स्थान पर होंगे, जहां अभिदाता कार्यरत है या ऐसे स्थान पर जिसके बारे में उसके लिखित रूप में सूचित किया है कि वह उस स्थान पर अपनी सेवा-निवृत्त के बाद रहना चाहता है।

(घ) जिस राशि के प्रत्याहरण कस अनुमति दी गई है वह प्रयोजन जिसके लिए ऐसी रकम प्रत्याहरित करने की अनुमति दी गई है, के संबंध में अपेक्षित राशि से अधिक नहीं होगी। वास्तव में अपेक्षित राशि से अधिक प्रत्याहरित राशि तत्काल वापस लौटानी होगी।

(ङ) अभिदाता से किसी भी समय यह अपेक्षा की जायेगी कि वह लघु उद्योग बैंक को जैसा कि उससे बैंक निर्दिष्ट करे उस प्रकार से निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिए लघु उद्योगों बैंक को आश्वस्त करे, जैसे

(1) कि जिस राशि के प्रत्याहरण की मांग की गई है या अनुमति दी गई है वह वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसके लिए इस प्रत्याहरण की मांग की गई है अथवा अनुमति दी गई है और इसका उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है ;

(2) कि जिस राशि, अन्य निधियों के साथ यदि कोई हो, जो अभिदाता को उपलब्ध है, के प्रत्याहरण की मांग की गई है या अनुमति दी गई है वह उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए ऐसे प्रत्याहरण की मांग की गई है या अनुमति दी गई है ;

(3) अभिदाता को उस साइट या मकान या जहां निर्माण ऐसी साइट पर किया जाना है, पर जो अभिदाता के पति/पत्नी या उन दोनों के संयुक्त नाम पर है, पूर्ण स्वत्व प्राप्त है या उसने प्राप्त कर लिया है अथवा उस साइट या मकान के संबंध में वह पूर्ण स्वत्व प्राप्त कर लेगा तथा।

(4) अभिदाता ने मकान के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं या प्राप्त कर लेगा और अभिदाता ऐसी आवश्यकता को पूरा करेगा।

(च) यदि रकम का प्रत्याहरण मकान निर्माण के लिए है तो ऐसे मकान का निर्माण छह महीने या ऐसी लम्बी अवधि की समाप्ति से पूर्व शुरू किया जाएगा, जिसके लिए लघु उद्योग बैंक अनुमति देगा और ऐसी प्रत्याहरित रकम या उसके किसी अंश की अभिदाता द्वारा प्राप्ति की तारीख से अठारह महीनों या ऐसी लम्बी अवधि की समाप्ति पर वह पूर्ण किया जाएगा, जिसके लिए लघु उद्योग बैंक अनुमति देगा।

(छ) यदि प्रत्याहरण किसी ऋण की अदायगी के लिए है तो ऐसी अदायगी प्रत्याहरण की रकम या उसके किसी भाग की अभिदाता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाए।

(ज) यदि प्रत्याहरण मकान निर्माण के प्रयोजनार्थ है, तो जिस राशि के प्रत्याहरण के लिए अनुमति दी गई है, उसका भुगतान मकान निर्माण में की गई प्रगति को ध्यान में रखकर इतनी किस्त संख्याओं और इतने समय तक किया जाएगा, जो कि लघु उद्योग बैंक अवधारित करेगा।

(झ) अभिदाता लघु उद्योग बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थल अथवा मकान का हस्तांतरण नहीं करेगा, उसे बंधक नहीं रखेगा या अन्यथा संक्रमित नहीं करेगा, व्यतिक्रम की स्थिति में अभिदाता प्रत्याहरित संपूर्ण राशि को अदायगी एक किस्त में करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ञ) अभिदाता अपनी इच्छा से उसके द्वारा प्रत्याहरित संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग इस निधि में लौटा सकता है।

(iii) उप-विनियम (ii) के प्रयोजनार्थ "मकान की खरीद" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित शामिल होंगे--

(क) एक सहकारी आवासीय सोसायटी के सदस्य के रूप में, चाहे ऐसी सोसायटी में शेयर खरीद कर अथवा इस सोसायटी द्वारा आवंटित रिहायशी आवास के संबंध में ऐसी सोसायटी के पास रकमें जमा करके अधिग्रहण; और

(ख) किसी आवासीय बोर्ड, नगर सुधार न्यास या अन्य समान प्राधिकरण से, जिसका गठन या स्थापना इस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत की गयी हो, एक रिहायशी आवास या परिसर को किराया खरीद या अन्यथा आधार पर खरीद ;

तथा उप-विनियम (ii) के खंड (क), (घ), (ङ) (1), (छ) (2), (झ) और (ञ), जहां तक संभव हो, ऐसे अधिग्रहण या खरीद के लिए प्रत्याहरणों पर तदनुसार लागू होंगे।

(iv) उप-विनियम (iii) के साथ पठित उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत यदि प्रत्याहरण की अनुमति दी गई है तो निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी

(क) अभिदाता से अपेक्षा की जा सकती है कि वह लघु उद्योग बैंक को इस बात के लिए आश्वस्त करे कि उसने संबंधित सहकारी आवासीय सोसायटी में शेयरों का हक प्राप्त कर लिया है या उसके दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं, जो उस सोसायटी में रकमों के जमा करने का प्रमाण है अथवा उसने दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं, जो इस समय लागू कानून के अन्तर्गत या स्थापित आवासीय बोर्ड, नगर सुधार न्यास अथवा अन्य ऐसे प्राधिकरण से किराया खरीद आधार पर या अन्यथा खरीदे गए रिहायशी आवास या परिसर पर उसके अधिकार का प्रमाण है।

(ख) प्रत्याहरण की रकम या उसके किसी भाग की अभिदाता द्वारा प्राप्ति की तारीख से छः महीने या ऐसी लम्बी अवधि को समाप्ति से पहले, जो कि लघु उद्योग बैंक स्वीकृत करेगी, सदस्य रिहायशी आवास प्राप्त करेगा।

(ग) इस राशि को इतनी किस्तों और ऐसे समय पर प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी, जो लघु उद्योग बैंक निर्धारित करेगा।

(घ) लघु उद्योग बैंक की पूर्व-लिखित अनुमति के बिना अभिदाता उन आवंटित रिहायशी आवास से संबंधित ऐसे शेयर या शेयरों जमा राशि या अपने हितों का हस्तांतरण, समनुदेशन नहीं करेगा अथवा उन पर कोई ऋणभार नहीं डालेगा, व्यतिक्रम की स्थिति में अभिदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्याहरित संपूर्ण राशि की तापसी तत्काल एक किस्त में करे।

(v) इन विनियमों के अन्तर्गत प्रत्याहरित रकम की सहायता से अभिदाता ने जो आवास प्राप्त किया है उसके किसी भी हित को, चाहे जो भी हो, हस्तांतरित, समनुदेशित या उस पर किसी भी अधिकार के सृजन करने की स्थिति में, ऐसे हस्तांतरण समनुदेशन या हित के सृजन करने पर, यथास्थिति, उसके द्वारा प्रत्याहरित संपूर्ण राशि लघु उद्योग बैंक को तुरंत लौटानी होगी।

परन्तु यदि ऐसे हस्तांतरण, समनुदेशन या हित का सृजन लघु उद्योग बैंक की अनुमति से किया जाता है और अभिदाता ने लघु उद्योग बैंक को प्रत्याहरित रकम लौटा दी है तो वह इस निधि से इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन नये सिरे से रकम के प्रत्याहरण का पात्र होगा।

(20) रकम प्रत्याहरण के संबंध में सीमाएं और शर्तें (i) इस निधि में उसके नाम जमा राशि से विनियम 19 के खंड (क) या उप-विनियम (ii) के खंड (ख) के उप-खंड (4) में उल्लिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी समय अभिदाता द्वारा प्रत्याहरित की जा सकने वाली रकम सामान्यतः उसके अपने अभिदानों और उस पर लगे ब्याज या छह महीने के वेतन (वेतन जैसा कि उसकी परिभाषा विनियम 9 में दिए गए स्पष्टीकरण में दी गई है), इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। तथापि, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी इस सीमा से अधिक (i) उद्देश्य जिसके लिए रकम प्रत्याहरित की जा रही है, (ii) अभिदाता की हैसियत और (iii) इस निधि में उसके स्वयं के अभिदानों और उस पर लगे ब्याज को ध्यान में रखकर इस निधि में उसके खुद के अभिदान और उस पर लगे ब्याज के 3/4 की सीमा तक प्रत्याहरण के लिए मंजूरी दे सकता है।

(ii) विनियम 19 के उप-नियम (ii) के खंड के (ख) के अन्तर्गत (उस खंड के उप-खंड (4) के सिवाय) अभिदाता द्वारा प्रत्याहरित कोई भी राशि उसके अपने अभिदानों और उस पर लगे ब्याज से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि ऐसे मामले में जहां पति और पत्नी जो दोनों, लघु उद्योग बैंक के कर्मचारी है और इस निधि में अभिदान कर रहे है तथा एक दूसरे के नामांकिती है, अग्रिम और प्रत्याहरण की कुल राशि, जो कि दोनों में से किसी एक के नाम पर मकान प्राप्त करने के लिए उन दोनों में से किसी एक के नाम पर मकान प्राप्त करने के लिए उन दोनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जिसका विनिश्चय लघु उद्योग बैंक द्वारा समय-समय पर अकेले अभिदाता को उपलब्ध कराने के लिए किया जाए।

(iii) अभिदाता जिसे विनियम 19 के उप-विनियम (ii) के अन्तर्गत उस निधि से प्रत्याहरण की अनुमति दी गई है, वह लघु उद्योग बैंक द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उन अनुमति अवधि के भीतर लघु उद्योग बैंक को आवश्यक करेगा कि वह धन उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए यह निकाला गया था और यदि वह ऐसा नहीं करता तो इस प्रकार प्रत्याहरित सम्पूर्ण रकम या उसमें से इतनी रकम जो कि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए यह प्रत्याहरित की गई थी प्रयुक्त नहीं की गई है, तुरन्त इस निधि के अभिदाता द्वारा नियम 13 के अन्तर्गत अवधारित दर पर उस पर लगे ब्याज सहित एकमुश्त रूप में तत्काल अदा कर जाएगी और ऐसे भुगतान के अभाव में किए जाने पर लघु उद्योग बैंक यह आदेश देगा कि यह उसकी परिलब्धियों या तो एकमुश्त रूप में या इतनी किस्तों में, जितना निर्धारण लघु उद्योग बैंक करेगा, वसूल की जाएगी।

(21) अग्रिम का प्रत्याहरण में परिवर्तन : अभिदाता जिसे विनियम 15 या 16 के अन्तर्गत उसके विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया है, उसे लघु उद्योग बैंक द्वारा विनियम 19 के अन्तर्गत उस विनियम में निर्धारित सापेक्ष शर्तों को उसके द्वारा पूरा करने पर वकाया अग्रिम को प्रत्याहरण में बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

(22) शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी संस्वीकृति प्राधिकारी और उनका प्रत्यायोजन (i) प्रशासक ऐसी शर्तों के अधीन, जो वे लगाना उचित समझते हों, लघु उद्योग बैंक के किसी अधिकारी को, जिसे वे इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, विनियम 5 और विनियम 7(iii)(ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर इन विनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों में से सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकते है ।

(ii) उप-विनियम (i) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

(क) विनियम 15 या विनियम 16 के अन्तर्गत अभिदाता के छह महीने के वेतन या अभिदाता के अपने खुद के अभिदानों और उन पर लगे ब्याज का आधा, इनमें जो भी अधिक हो, तक का अग्रिम महा प्रबंधक द्वारा मंजूर किया जा सकता है और इस विनियम के अंतगत अन्य कोई अग्रिम कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा मंजूर किया जा सकता है ।

(ख) विनियम 19 के उप-विनियम (i) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत प्रत्याहरण महा प्रबंधक द्वारा मंजूर किये जा सकते हैं ।

(ग) विनियम 19 के उप-विनियम (i) के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत अभिदाता के छह महीने के वेतन या अभिदाता के अपने खुद के अभिदानों और उन पर लगे ब्याज की आधी रकम का प्रत्याहरण, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए मंजूरी महा प्रबंधक द्वारा दी जा सकती है और इस विनियम के अंतर्गत अन्य किसी प्रत्याहरण के लिए मंजूरी कार्यपालक निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा दी जा सकती है ।

(iii) इस विनियम के प्रयोजनार्थ —

(क) "महा प्रबंधक" में उप महा प्रबंधक और प्रबंधक भी शामिल है।

(ख) "वेतन" से वही अभिप्राय है जो विनियम 9 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

(23) नामांकन (i) प्रत्येक अभिदाता इन विनियमों के साथ जुड़े प्रपत्र 2 में अपने परिवार के उन एक या एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करेगा, जिन्हें उसकी मृत्यु हो जाने पर उनके नाम जमा राशि संदेय हो जाए । अभिदाता जिसका अपना परिवार नहीं है, वह इन विनियमों के साथ जुड़े प्रपत्र 3 में एक व्यक्ति को नामांकित करेगा परन्तु शर्त यह है कि ऐसा नामांकन तब तक वैध होगा जब तक अभिदाता विवाहित नहीं हो जाता और यदि कोई सदस्य बाद में घर बसा लेता है तो वह औपचारिक तौर पर पहला नामांकन रद्द कर देगा और प्रपत्र 2 में परिवार के एक सदस्य का नामांकन करेगा ।

परन्तु यह कि स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत किया गया नामांकन इस विनियम के अन्तर्गत किया गया नामांकन समझा जाएगा ।

(ii) अभिदाता की निधि में जो रकम जमा हो, उसका वितरण वह अपने नामांकन में स्वविवेकानुसार अपने नामितियों के बीच कर सकता है ।

(iii) अभिदाता नामांकन को रद्द भी कर सकता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा नामांकन कर सकता है, जिसकी अनुमति इस विनियम के अन्तर्गत दी जाती है ।

(iv) कोई भी नामांकन या रद्दकरण की सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय में अभिदाता के लघु उद्योग बैंक की सेवा में होने के दौरान प्राप्त न हो जाए और इस निधि के खातों में पूंजीकृत न कर ली जाए।

(v) उप-विनियम (iii) के अन्तर्गत पिछला नामांकन रद्द करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिदाता इस विनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक नामांकन के साथ लघु उद्योग बैंक के प्रधान कार्यालय को रद्दकरण की एक आकस्मिक सूचना भेजेगा, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त इन विनियमों के साथ जुड़े प्रपत्र (4 और 5) में से किसी एक प्रपत्र में होगी ।

स्पष्टीकरण I

इस विनियम और विनियम 25 के अन्तर्गत "परिवार" से अभिप्राय है अभिदाता की पत्नी या पतियां, या पति और बच्चे तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे :

परन्तु यह कि यदि अभिदाता यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे पृथक् हो गई है अथवा उस समुदाय के व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत, जिसके साथ उसका संबंध है, भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है तो वह परिवार की सदस्य तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक कि अभिदाता बाद में प्रशासकों को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना द्वारा सूचित न करे कि उसे उसी प्रकार समझा जाता रहेगा ;

आगे यह और भी कि यदि कोई अभिदाता प्रशासकों को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना द्वारा अपनी यह इच्छा अभिव्यक्त करता है कि उसके पति को उसके परिवार में शामिल न किया जाए तो पति तब तक उसके परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि अभिदाता बाद में औपचारिक तौर पर लिखित रूप में या अधिसूचना द्वारा उसे शामिल न करने की उस अधिसूचना को रद्द न कर दे ।

आगे और यह कि ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को नियंत्रित करने वाले वैयक्तिक कानून द्वारा दत्तक को मान्यता दी जाती है वहां ऐसे दत्तक को पुत्र/पुत्री समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण II

इस विनियम के प्रयोजनार्थ "व्यक्ति" में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, कंपनी, संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पद के आधार पर नामोद्दिष्ट किया गया है, शामिल है ।

(24) कुछ मामलों में आश्रितों का नामांकन—विनियम 23 में दी गई किसी बात के होते हुए भी अभिदाता किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकता है जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत आश्रित के रूप में परिभाषित किया गया है, यदि लघु उद्योग बैंक इस बात से आश्वस्त है कि उक्त विनियम के अनुसार नामांकन करने अथवा उसके बनाए रखने से भारी कठिनाइयां पेश आएंगी अथवा यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण नहीं होगा ऐसा नामांकन इन विनियमों के साथ लगे प्रपत्र 6 में किया जाएगा ।

(25) अभिदाता की मृत्यु पर भुगतान—अभिदाता की मृत्यु होने पर—

(1) यदि अभिदाता परिवार पीछे छोड़ता है—

(क) यदि अभिदाता द्वारा इन विनियमों के अनुसार किया गया नामांकन अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में मौजूद है तो इस निधि में उसके नाम जमा राशि अथवा उसका कोई भाग, जिससे वह नामांकन संबंधित है, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में नामांकिती या नामांकितियों को संदेय हो जाएगा;

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा नामांकन विद्यमान नहीं है अथवा यदि ऐसा नामांकन इस निधि में उसके नाम जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित है तो संपूर्ण राशि या उसका कुछ भाग, यथास्थिति, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, उसके परिवार के एक सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन के तात्पर्यित होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों के बीच समान हिस्सों में संदेय हो जाएगा:—

परन्तु यह कि कोई भी हिस्सा निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा—

(1) पुत्र जो वैध रूप से वयस्क हो गए हों;

(2) मृत पुत्र के पुत्र जो वैध रूप से वयस्क हो गए हों;

IndiaCode

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिन के पति जीवित हों;

यदि परिवार में खंड (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य सदस्य है :

परन्तु यह कि मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवायें और बच्चा अथवा बच्चे समान हिस्सों में वही हिस्सा प्राप्त करेंगे, जो पुत्र प्राप्त करता, अगर वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और ऐसे मामले में, जहां वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता तो उसे प्रथम परंतुक के खंड (i) के अंतर्गत हिस्से से वंचित रखा जाता, उसे इस प्रकार वंचित नहीं रखा गया ।

परन्तु आगे और यह कि यदि विनियम 24 के अन्तर्गत कोई नामांकन किसी या किन्हीं आश्रित अथवा आश्रितों के पक्ष में बना रहता है तो अभिदाता के नाम जमा राशि अथवा उसके किसी भाग, जिससे वह नामांकन संबंधित है, इस उपखंड में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में नामांकिती अथवा नामांकितियों को संदेय हो जाएगा ।

(ii) यदि अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है—

(क) यदि इन विनियमों के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया कोई नामांकन किसी या किन्हीं व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में बना रहता है, जो कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार अभिदाता का आश्रित है या आश्रित हैं तो इस निधि में उसके/उनके नाम जमा राशि या उसका कोई भाग, जो नामांकन से संबंधित है, जैसी भी स्थिति हो, इस नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामांकिती अथवा नामांकितियों को संदेय हो जाएगा ।

(ख) यदि ऐसा कोई नामांकन भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो आश्रित नहीं है तो उसके नाम निधि में जमा राशि या उसका कोई भी भाग, जिससे नामांकन संबंधित है, यथास्थिति, उस नामांकिती को संदेय हो जाएगा यदि यह राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ग) यदि ऐसा कोई नामांकन विद्यमान नहीं है या ऐसा नामांकन इस निधि में अभिदाता के नाम जमा राशि के केवल एक भाग से संबंधित नहीं है किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदेय हो जाएगा जो प्रशासकों के समक्ष उपस्थित होकर उसके प्राप्त करने का अन्यथा हकदार होता । यदि ऐसी संपूर्ण रकम या उसका भाग, यथास्थिति, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है ;

(घ) कोई रकम अथवा उसका कोई भाग जो कि उप-खंड (क), (ख), (ग) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को संदेय नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रोबेट या प्रशासन-पत्र, जो मृतक की सम्पदा को उसके द्वारा प्रशासन करने संबंधी स्वीकृति का प्रमाण होगा अथवा भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 के खंड (ग) के अनुसार उत्तराधिकार का प्रमाण प्रस्तुत करने पर संदेय हो जाएगा ।

टिप्पणी:—

जब कोई नामांकिती या अन्य व्यक्ति, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार अभिदाता का आश्रित है तो इन विनियमों के अन्तर्गत ऐसे नामांकिती या अन्य व्यक्ति को संदेय राशि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उस आश्रित को प्रदान की जाएगी ।

(26) अभिदाताओं द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार—प्रत्येक कर्मचारी इस निधि का अभिदाता बनने पर इसके साथ अनुबद्ध भविष्य निधि प्रपत्र 1 में एक करार निष्पादित करेगा ।

परन्तु यह कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के प्रयोजनार्थ स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा निष्पादित कोई भी इस प्रकार का करार इस विनियम के प्रयोजनार्थ निष्पादित करार समझा जाएगा ।

भविष्य निधि प्रपत्र 1

करार का प्ररूप
विनियम 26

स्थान
दिनांक _____

सेवा में
प्रशासक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
कर्मचारी भविष्य निधि
महानुभाव,

मैं घोषित करता/करती हूं कि मैंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 को पढ़ और समझ लिया है और उक्त विनियमों के अनुसार अभिदान करने और इनसे आबद्ध होने पर सहमत हूं ।

पूरा नाम _____
जन्म तारीख _____
पद का स्वरूप _____
मासिक वेतन _____

भवदीय
(हस्ताक्षर)
सूची सं. _____

गवाह :

हस्ताक्षर :_____
पदनाम _____
पता _____

भविष्य निधि प्रपत्र 2

नामांकन प्ररूप यदि अभिदाता का कुटुंब है

विनियम 23 (i)

सूची सं. _____
नाम _____
स्थान _____
तारीख _____

सेवा में
प्रशासक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
कर्मचारी भविष्य निधि
महानुभाव,

मैं निदेश देता/देती हूं कि मेरी मृत्यु होने पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि से मुझे संदेय राशि मेरे परिवार के सदस्यों के बीच उनके नाम के सामने दी गए तरीके के अनुसार वितरित की जाए :

नामांकिती या नामांकितियों के नाम और पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामांकिती की आयु	संचित निधि की राशि या हिस्सा
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

गवाह :

(1) _____
पदनाम _____
पता _____

(2) _____
पदनाम _____
पता _____

मैंने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए

कृते प्रबंधक

टिप्पणी :

कालम 4 इस प्रकार भरा जाए ताकि सम्पूर्ण राशि इसमें शामिल हो सके।

भविष्य निधि प्रपत्र 3

अभिदाता का कुटुंब न होने पर भरे जाने वाले नामांकन का प्ररूप

विनियम 23 (i)

सूची सं. _____
नाम _____
स्थान _____
तारीख _____

IndiaCode

सेवा में

प्रशासक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
कर्मचारी भविष्य निधि
महानुभाव,

मैं घोषित करता/करती हूं कि मेरा परिवार नहीं है और निदेश देता/देती हूं कि मेरी मृत्यु होने पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में मुझे संदेय राशि मेरा परिवार न होने की स्थिति में नीचे उल्लिखित व्यक्तियों के बीच उनके नाम के आगे दिए गए तरीके के अनुसार वितरित की जाए :

नामांकिती अथवा नामांकितियों के नाम तथा पता	अभिदाता के साथ संबंध, यदि नामांकिती कोई हो	संचित निधियों के हिस्से की राशि	
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

भवदीय

(हस्ताक्षर)

गवाह :

(1)----------
पदनाम ----------
पता ----------

(2) ----------
पदनाम ----------
पता ----------

मैंने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए

कृते प्रबंधक

टिप्पणी : कालम 4 इस प्रकार भरा जाए ताकि सम्पूर्ण राशि इसमें शामिल हो सके।

भविष्य निधि प्रपत्र 4

रद्दकरण की आकस्मिक सूचना

विनियम 23 (V)

(यदि नामांकन अभिदाता के परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में हो)

जब कभी मैं उचित समझूंगा/समझूंगी मैं अपने द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 23 के उप विनियम (iii) के अन्तर्गत अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैं एतद्द्वारा सूचित करता/करती हूं कि इसके अन्तर्गत नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी की मुझ से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उक्त नामांकन जहां तक ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी को प्रदत्त अधिकारों का संबंध है, तत्क्षण रद्द समझे जाएंगे।

19--------के ----------महीने की ----------तारीख को ----------में

हस्ताक्षर के दो गवाह :

1----------

2----------

अभिदाता के हस्ताक्षर

IndiaCode

भविष्य निधि प्रपत्र 5

रद्दकरण की आकस्मिक सूचना

विनियम 23 (V)

(यदि नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में है जो अभिदाता के परिवार के सदस्य न हों)

जब कभी मैं उचित समझूंगा/समझूंगी मेरे द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 23 के उप विनियम (iii) के अन्तर्गत अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैं सूचित करता/करती हूं कि इसके अन्तर्गत नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी को मुझ से पूर्व मृत्यु होने पर उक्त नामांकन जहां तक ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों का संबंध है, तत्क्षण रद्द हो जाएगा।

19————के ————महीने की ————तारीख को ————में

अभिदाता के हस्ताक्षर ————

हस्ताक्षर के दो गवाह :

1.————

2.————

भविष्य निधि प्रपत्र 6

अभिदाता द्वारा भरा जाने वाला ऐसा नामांकन जब उसका कुटुंब हो परन्तु वह विनियम 24 की शर्तों के अनुसार आश्रित को नामांकित करना चाहता हो

सूची सं. ————
नाम ————
स्थान ————
तारीख ————

सेवा में
प्रशासक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
कर्मचारी भविष्य निधि
महानुभाव,

मैं निदेश देता/देती हूं कि मेरी मृत्यु होने पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि में मुझे संदेय राशि नीचे उल्लिखित मेरे आश्रितों के बीच उनके नाम के आगे दिए गए तरीके के अनुसार वितरित की जाए :—

नामांकिती या नामांकितियों के नाम और पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामांकिती की आयु	संचित निधियों की राशि या हिस्सा	जब अभिदाता का कुटुंब हो तो आश्रित को नामांकित करने के कारण
1	2	3	4	5

भवदीय,

————

(हस्ताक्षर)

गवाह :

(1)————

पदनाम————

पता————

IndiaCode

(2)————————————

पदनाम ————————————

पता ————————————

मैंने अभिदाता के हस्ताक्षर सत्यापित किए

————————————

कृते प्रबंधक

टिप्पणी :

कालम 4 इस प्रकार भरा जाए ताकि संपूर्ण राशि इसमें शामिल हो सके ।

भविष्य निधि प्रपत्र 7

अतिरिक्त अभिदान की दर निर्धारण का प्ररूप

विनियम 9 (ii)

स्थान ————————————

तारीख ————————————

प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
महोदय,

मैं एतद्द्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 9 (ii) की शर्तों के अनुसार भविष्य निधि में मेरे स्वैच्छिक अतिरिक्त अभिदान के रूप में मेरे वेतन का ———— प्रतिशत काट लिया जाए। मेरे वेतन से इस प्रकार की पहली कटौती ————19————से की जाए।

भवदीय,

————————————

(हस्ताक्षर)

नाम ————————————

पदनाम ————————————

सूची सं. ————————————

भविष्य निधि प्रपत्र 8

(अभिदान की दर नियत करने का प्ररूप)

विनियम 9 (i)

स्थान ————————————

तारीख ————————————

प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
महोदय,

मैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 9 (i) के अन्तर्गत निदेश देता/देती हूं कि भविष्य निधि में मेरे अभिदान के रूप में प्रतिमास मेरे वेतन का ————————प्रतिशत काट लिया जाए।

भवदीय,

————————————

(हस्ताक्षर)

नाम ————————————

पदनाम ————————————

सूची सं. ————————————

आर. एम. अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणी :

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 31 अगस्त, 1990 के अपने पत्र द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 को अनुमोदन प्रदान किया है।

IndiaCode

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1990

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

INDIA

[EMPLOYEES' PROVIDENT FUND] REGULATIONS, 1990

No. 3590/PF.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, (39 of 1989), the Board, with the previous approval of the Development Bank, hereby makes the following Regulations :

(1)(i) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Employees Provident Fund) Regulations, 1990.

(ii) These Regulations will come into force on the day of 199.

(2) Definitions.—In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i)) "Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(ii) "Administrators" means the Administrators of the Fund.

(iii) "Managing Director" means the Managing Director of the Small Industries Bank;

(iv) "Fund" means the fund constituted under Regulation 3;

(v) "Transferred Employee" means a person who has become a member of the Staff of the Small Industries Bank in terms of sub-section (2) of Section 33 of the Act but does not include a person who has elected to go back to the Development Bank within a period of nine months from the appointed day,

(vi) words and expressions used, but not defined, in these Regulations and used in the Act have the meaning respectively assigned to them for the purpose of the Act.

(3) Constitution.—A fund shall be created called "The Small Industries Development Bank of India Employees Provident Fund".

(4) Administration.—The Fund shall be held by the Small Industries Bank and shall be administered by a committee of Administrators consisting of the Managing Director, two other Directors nominated by the Board, one Executive Director or General Manager and three persons, one of whom shall represent the officers, the second the clerical staff and the third the staff in the subordinate services, all the four to be nominated by the Managing Director. Without prejudice to the specific powers conferred on them under the various Regulations, the Administrators of the Fund shall be entitled to exercise all powers and to do all acts and things on behalf of the Fund under these Regulations.

(5) Meeting of Administrators.—At every meeting of the Administrators, the Managing Director or, in his absence the Executive Director or one of the nominated Director shall preside. The presence of at least three Administrators of whom one shall be the Managing Director or the Executive Director or one of the nominated Directors shall be necessary to form a quorum for the transaction of business. Each Administrator shall have one vote and in all cases of an equal division, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

(6) Statement of Accounts.—The accounts of the Fund shall be made up yearly as at the 31st March and an audited statement of the accounts as at that date will be submitted to a meeting of the Administrators by 31st August or such later date as may be permitted by the Administrators in every year and a copy of such statement shall be made available to the subscribers at each office and branch as soon as may be possible after such meeting.

(7) Membership for whom compulsory.—(i) Every permanent employee of the Small Industries Bank shall be bound to subscribe to the Fund.

(ii) An employee appointed on probation to a post in which, if confirmed, he will become a permanent employee, shall be deemed to be a permanent employee for the purpose of these Regulations from the date of his first appointment.

(iii) (a) a temporary employee, other than an employee who is already contributing to some other provident fund, may subscribe to the fund, if so permitted by the Administrators.

(b) Any other person in receipt of remuneration, other than casual remuneration, from the Small Industries Bank may also subscribe to the Fund, if so permitted by the Administrators.

Provided that where any sum is standing to the credit of such person in the Fund and has become payable to him by reason of the provisions of Regulation 19, such sum may, in exceptional cases, if so permitted by the adminisarators, continue to stand to his credit in the Fund for such time as he is in receipt of remuneration other than casual remuneration from the Small Industries Bank, and interest shall, notwithstanding anything contained in Regulation 18, accrue on such sum.

(iv) On the creation of the Fund under Regulation 3, every transferred employee shall be deemed to have become a member of the Fund and he shall be bound to contribute to the Fund in accordance with these regulations.

8 (i) The balance standing to the credit of every Transferred Employee in the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund shall stand transferred to the fund and same shall be credited to his account with the fund.

(ii) The administrators may, at the request of any employee required or permitted under Regulation 7, to subscribe to the Fund, receive to the credit of such employee any amount due to him from a Provident Fund account maintained by his former emp-

loyer and transferred by the said employer directly to the Fund.

(iii) The Small Industries Bank shall not be required to make any contribution in respect of any amount paid into the Fund under this Regulation.

(iv) In case any arrears pay or allowances become payable to any category of employees of the Small Industries Bank and a decision is taken by the Small Industries Bank that such arrears or part thereof, as the case may be, shall not be disbursed in cash but should be credited to the Provident Fund Accounts of the employees concerned, the Administrators shall, at the request of the Small Industries Bank, receive to the credit of such employees the account to be so credited to their Provident Fund Accounts.

Provided that the Small Industries Bank shall not be required to make contribution in respect of any amounts so paid into the Fund.

(v) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, till such time an associate institution establishes its own provident fund after framing the necessary regulations or rules, as the case may be the Administrators may, in their discretion, receive subscriptions from persons who are employees of associate institutions and contributions on their behalf by the employer-associate institutions and retain such subscriptions and contributions and maintain and continue to maintain their accounts in the Fund and the powers in respect of such accounts may be exercised by the Administrators, or such persons as may be nominated by the Administrators in this behalf, notwithstanding that such subscribers may not be or may have ceased to be employees of the Small Industries Bank.

Explanation:

For the purpose of this Regulation, an institution shall be deemed to be an 'associate institution', if in the capital of such institution the Small Industries Bank holds or held not less than 40 percent share.

(9) Rate of subscription.—(i) The rate of subscription shall, as from the date on which the subscriber commences to subscribe, be fixed by the subscribed himself at not more than 10 per cent nor less than 5 per cent of his pay.

(ii) In addition to the subscription made under sub-Regulation (i) any subscriber may make to the fund a subscription of an amount upto the pay minus the amount subscribed under Regulation 9(i) but not less than 5 per cent of his pay.

(iii) Every person subscribing to the Fund under sub-regulation (ii) shall give a notice to the Small Industries Bank specifying the rate of subscription in provident Fund from 7 annexed hereto.

(iv) Such subscriptions shall be deducted by the Small Industries Bank from his monthly pay in amounts calculated to the nearest rupee. The rate of subscription within these limits when once fixed by the subscriber can be altered only after written intimation of his desire to do so has been given by him, not less than one calender month in advance to the officer responsible for paying him.

Explanation :

In this Regulation, the expression 'pay"

(i) includes substantive pay, special pay, personal pay, special personal pay, overseas pay and officiating pay,

(ii) does not include any allowance or other emoluments unless specially classed as pay by the Board.

(10) Subscription of subscriber on leave.—The subscription of a subscriber absent on leave shall, during the period of such absence, be assessed on his leave pay but any such subscriber shall be at liberty to subscribe on the full amount of his pay provided notice in writing of his desire to do so is given by him not less than 14 days in advance of the first payment of his leave salary to the officer responsible for paying him.

(11) Small Industries Banks' contribution.—Save as otherwise provided in these Regulations, the Small Industries Bank shall contribute every month a sum equal to that subscribed by each subscriber to his account in the Fund, provided that no such contribution shall be made by the Small Industries Bank in respect of subscriptions permitted under sub-regulation (iii) of Regulation 7 and sub-regulation (ii) of Regulation 9.

Provided further that in the case of a temporary employee subscribing under sub-regulation (iii) of Regulation 7 who is subsequently taken into the permanent employment of the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall contribute, on the employee being made permanent, a sum equal to the amount subscribed by him during his temporary service.

Provided further that in respect of subscriber who has been permitted to subscribe under clause (b) of sub-regulation (iii) of Regulation 7 the Small Industries Bank shall be liable to make contributions only if the conditions of service of such subscriber provide for the Small Industries Bank making such contributions.

(12) Notwithstanding anything contained in Regulation 11, where the terms of service of a Chairman or Managing Director provide for his subscribing to the Fund, the Small Industries Bank shall, from such date as may be applicable under such terms of service, contribute every month to his account in the Fund such sum, if any, as may be provided for in the said terms of service.

(13) Interest.—The Small Industries Bank shall credit interest on the amount standing to each subscriber's credit at the end of every half-year at a rate which shall be fixed by the Small Industries Bank having regard to the return which can be obtained on the investment of other provident, charitable, religious and trust and quasitrust funds in accordance with the regulations, schemes or directions made, framed or given by the Central Government in this behalf, provided that the rate of interest shall be equal to the rate allowed by the Development Bank in respect of its Employees' Provident Fund. Such interest shall be calculated to the nearest rupee on the monthly products of each subscriber's account

and shall be applied to the accounts half yearly as on the 31st March and 30th September.

(14) Annual Statement of each subscriber's account.—Every subscriber shall receive from the Administrators an annual statement showing the amount standing to his credit in the Fund.

(15) Borrowing from Fund.—(i) At the discretion of the Small Indu tries Bank, a temporary advance, the amount of which shall not in any case exceed the subscriber's own subscriptions and interest thereon, may be granted to a subscriber on application, from the amount standing to his credit in the Fund, subject to the following conditions :—

(A) The Small Industries Bank is satisfied that the amount will be expended on the following object or objects and not otherwise :—

(1) to pay expenses in connection with illness or disability, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependant on him ;

(2) to meet the cost of higher education, including where neces ary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependant on him in the following cases, namely :—

(a) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage ; and

(b) for any medical, engineering, technical, professional or specialised, vocational course after the successful completion of ten years study in school conducted by any recognised institution and leading to a degree/diploma or certificate ;

(3) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriages or other ceremonies of himself or of his children or of any other person actually dependant on him ;

Provided that the condition of actual dependence shall not apply in the case of a son or daughter of the subscriber or in the case of an advance required to meet the funeral expenses of a parent of the subscriber ;

(4) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegation made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source from the Small Industries Bank :

Provided that the advance under this sub-clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the Small Industries Bank in respect of any condition of service or penalty imposed on him ;

(5) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by the Small Industries Bank in any court of law ;

(6) to meet any other expenses or liability which, in the opinion of the Small Industries Bank, is unforeseen and extraordinary and beyond ordinary means of the Subscriber ;

(B) An advance shall not, except for special reasons,—

(1) exceed 3 months' pay ('pay' a defined in the explanation to Regulation 9) or half the amount of the subscriber's own subscriptions to the Fund and interest thereon, whichever is less ; or

(2) be granted until the final repayment of the previous advance.

(ii) (a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Small Industries Bank may direct ; but such number shall not be less than 12 unless the subscriber so elects for more than 24 provided that in special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber as provided by clause (B) of sub-regulation (i) the Small Industries Bank may fix such number of instalments to be more than 24 but in no case more than 36. A subscriber may at his option repay more than one instalment in one month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(b) Recoveries shall commence when the subscriber draws his pay for the full month for the first time after the advance is made. Recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is on leave, other than leave on full pay, or in receipt of subsistence grant.

(c) Recoveries made under this sub-regulation shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

(16) (1) At the discretion of the Small Industries Bank and subject to such conditions and limitations as it may impose, an advance may be granted to a subscriber on application, from the amount standing to his credit in the Fund, for the purpose of purchasing shares in a Co-operative Housing Society or of making any deposit or payment of money by way of earnest or otherwise, in each case solely with a view to securing a suitable house or premises for his residence or the residence of any person dependant on him.

(ii) An advance under this Regulation shall be permitted only once during the service of the employee and shall not exceed the amount of the subscriber's subscriptions to the Fund and interest

thereon, or the amount actually required for the purpose for which the advance has been applied for, whichever is less

(iii) An advance under this Regulation shall be recovered in such number of monthly instalment, at such times and of such amount, as the Small Industries Bank may direct, the number of instalments not exceeding 120 in any case. A subscriber may at his option repay more than one instalment in one month and each instalment shall be a number of whole rupees.

(17) Insurance Policies.—(i) Sums to meet payments towards a policy of insurance on the life of the subscriber effected under a scheme of insurance maintained or approved by the Small Industries Bank may be withheld from subscriptions to the Fund or withdrawn from the amount subscribed thereto by the subscriber (including interest thereon). Any sum so withheld from a subscription shall be deemed to be part of the subscription for the purpose of calculating the Small Industries Bank's contribution under Regulation 11.

(ii) Where sums are withheld from subscriptions to the fund or withdrawn from the amount subscribed thereto by the subscriber under sub-regulation (i) above, the policy of insurance in respect of which such sums are withheld for withdrawn shall be transferred to the Small Industries Bank in consideration of the payment of premia on such policy and on such terms and conditions as the Small Industries Bank may impose in respect of the amount, if any, recovered by the Small Industries Bank from the insurer.

(18) When interest ceases to accrue.—Interest on all sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber shall cease to accrue on the expiry of a period of six months from :

(a) The day on which he leaves services of the Small Industries Bank, or

(b) if he leaves the service of the Small Industries Bank on the expiry of any period of leave, commencing from or after the date on which he would have retired from the service of the Small Industries Bank but for such leave, or dies during such period of leave, the day on which such period of leave commences, or

(c) if he dies before he leaves the service of the Small Industries Bank, otherwise than in the circumstances referred to in clause (b) above, from the date of his death.

Provided that if, in any case, before the expiry of the said period of six months,

(i) at the request of the subscriber or any other person to whom the sums are payable under Regulation 25, the said sums are, or any portion thereof is authorised to be disbursed : or

(ii) in pursuance of an order of a Court or a Tribunal the said sums are, or any portion thereof is, paid to the order of such Court or Tribunal,

Interest shall cease to accrue on the said sums or, as the case may be, on such portion, from the date on which the said sums are, or any portion thereof, is authorised to be disbursed, or as the case may be, paid to the order of such Court or Tribunal.

Provided further that even after the expiry of the period of six months referred to above, the Small Industries Bank may, in its absolute discretion and without being under any obligation so to do, allow interest on the sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber, for a further period not exceeding one year, if the Small Industries Bank is satisfied that the non-payment of such sums to the subscriber or his nominee or nominees, or legal representatives, as the case may be, is not due to any default or lapse on the part of the subscriber, or his nominee or nominees or legal representatives, as the case may be.

(19) Payment of amount standing to credit of subscriber.—(i) The sums standing to the credit of a subscriber shall become payable on the termination of his service or on his death :

Provided that a subscriber on leave preparatory to retirement may at his option withdraw from the sums standing to his credit in the Fund an amount not exceeding his own subscriptions and the interest thereon ;

Provided also that a subscriber, including any person permitted to subscribe to the Fund, under sub-clause (b) of clause (iii) of Regulation 7 may, at any time after completion of 15 years service, if the withdrawal is for the purpose specified in clause (b) of sub-regulation (ii) or after completion of 20 years service if withdrawal is for any other purpose and during 10 years immediately preceding the date of retirement or the date of expiry of his specified tenure of office as the case may be, be permitted by the Small Industries Bank at their discretion to withdraw, for the purposes and subject to the provisions contained in sub-regulations (ii), (iii) and (iv), from the sums standing to his credit in the fund unto such amount as specified in Regulation 20.

Provided further that there may, if the Committee of the Board of the Small Industries Bank, or any officer of the Small Industries Bank, as that Committee may specify in this behalf, so directs, be deducted therefrom and paid to the Small Industries Bank—

(a) any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Small Industries Bank up to the total amount contributed by the Small Industries Bank to his account, including the interest credited in respect thereof :

OR

(b) where the subscriber has been dismissed from his employment on account of misconduct or gross negligence or where the subscriber has resigned his employment under the Small Industries Bank within five

years of the commencement of his continuous service, including temporary service, the whole or any part of the amount of such contributions together with the interest credited in respect thereof.

Explanation :

For purpose of these regulations any service rendered by a transferred employee in the Development Bank shall be deemed to be the service rendered by him in the Small Industries Bank.

(ii) (a) Subject to such terms and conditions as may be imposed by the Small Industries Bank, a withdrawal under the second proviso, to sub-regulation (i) may be permitted for—

(1) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses, of any child of the subscriber actually dependant on him, in the following cases, namely—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course, beyond the high school stage; and

(ii) for any medical, engineering, technical, professional or specialised, vocational course after the successful completion of ten years' study in school conducted by any recognised institution and leading to a degree/diploma or certificate.

(2) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber himself or the subscriber's son or daughter and if he has no daughter, of any other female relation dependant on him.

(3) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the traveling expenses, of the subscriber or any person actually dependant on him;

Provided that a subscriber may, at his option, return to the Fund in lump sum the whole or any part of the sum so withdrawn by him.

(b) Subject to the provisions of clauses (c) to (j) withdrawals under the second proviso to sub-regulation (i) may also be permitted for the following purposes namely :

(1) purchase of a house or site for a house.

(2) building a house on a plot of land belonging to the subscriber or the subscriber's spouse or both of them jointly, as the case may be, provided such spouse is a nominee under these Regulations and such nomination subsists on the date of application for withdrawal;

(3) repayment of a loan taken for such purchase or building (including such a loan secured on the house or site purchased or house built);

(4) reconstructing or making additions or alterations to a house already owned or acquired by the subscriber, or an ancestral house in which the subscriber has an interest under the personal law applicable to the subscriber;

(5) payment of stamp duty and registration charges in connection with acquisition of a houes or a site;

Provided that withdrawals shall not be granted for acquisition of more than one house or site except in a case, covered by sub-regulation (v) of regulation 19.

(c) The house purchased or built should be for subscriber himself and in the case of a site, it should be for building a house for the subscriber himself; the house or site shall be at the station where the subscriber is working or at the place to be declared by him in writing, as the place where he intends to reside after retirement.

(d) The amount permitted to be withdrawn shall not exceed the amount required for the purpose for which withdrawal is permitted, any excess of the amount withdrawn over the amount actually required shall forthwith be refunded.

(e) The subscriber may at any time be required to satisfy the Small Industries Bank, in such manner as it may specify, of any of the following matters, namely :

(1) that the amount sought to be withdrawn or permitted to be withdrawn is actually required for the purpose for which withdrawal is sought or has been permitted, and that it has been applied to such purpose :

(2) that the amount sought to be withdrawn or permitted to be withdrawn together with other funds, if any, available to the subscriber, is sufficient for the purpose for which withdrawal is sought or has been permitted;

(3) that the subscriber has obtained or will obtain a good title to the site or the house, or where construction is to be put up on a site belonging to the subscriber's spouse, or both of them jointly has/have obtained or will obtain a good title to the site or the house; and

(4) that the subscriber has obtained or will obtain all the permissions and approvals necessary for building the house and the subscriber shall comply with such requirement.

(f) Where the withdrawal is for building a house, such building shall commence before the expiry of six months or such longer period, as the Small Industries Bank may allow, and be completed before the expiry of eighteen months or such longer period as the Small Industries Bank may allow, from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof.

(g) Where the withdrawal is for repayment of a loan, such repayment should be made within three months from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof.

(h) Where the withdrawal is for the purpose of building a house, the amount permitted to be withdrawn may be paid out in such number of instalments

and at such time or times as the Small Industries Bank may determine having regard to the progress made in the building.

(i) The subscriber shall not without the previous written permission of the Small Industries Bank, transfer, morgage or otherwise alienate the site or house; in default, the subscriber shall be liable to refund in one instalment the entire amount withdrawn.

(j) The subscriber may, at his option, return to the Fund the whole or any part of the sum withdrawn by him.

(iii) For the purpose of sub-regulation (ii) the expression "purchase of house" shall include--

(a) the acquisition, as a member of a co-operative housing society, whether by purchase of shares in, or by depositing sums with, such society, of residential accommoadtion allotted by the society; and

(b) the purchase of a residential house or premises on hire-purchase basis or otherwise, from a Housing Board, City Improvement Trust or other like authority, formed or established under any law for the time being in force;

and clauses (c), (d), (e)(1), (e)(2), (i) and (j) of sub-regulation (ii) shall, so far as may be, apply accordingly to withdrawals for such acquisition or purchase.

(iv) Where a withdrawal has been permitted under sub-regulation (ii) read with sub-regulation (iii), the following conditions shall also apply :—

(a) The subscriber may be required to satisfy the Small Industries Bank that he has obtained title to the shares in the co-operative housing society concerned or has obtained the documents evidencing the deposit of sums with the society; or that he has obtained the documents evidencing his right to the residential house or premises purchased on hire purchase basis or otherwise from a Housing Board, City Improvement Trust or other like authority, formed or established under any law for the time being in force.

(b) The residential accommodation is obtained by the member before the expiry of six months, or such longer period as the Small Industries Bank may allow, from the date of the subscriber receiving the amount withdrawn or any part thereof ;

(c) The amount may be permitted to be withdrawn in such number of instalments and at such time or times as the Small Industries Bank may determine.

(d) Except with the previous written permission of the Small Industries Bank, the subscriber shall not transfer, assign or create any encumbrance on such share or such shares, deposit or his interest in the residential accommodation allotted to him; in default, the subscriber shall be liable to refund forthwith in one instalment the entire amount withdrawn.

(v) In the event of a subscriber transferring, assigning or creating any interest whatsoever, in the house acquired by him with the help of a withdrawal under these Regulations, the subscriber shall refund to the Small Industries Bank the entire amount withdrawn by him forthwith one such transfer, assignment or creation of interest, as the case may be.

Provided where such transfer, assignment or creation of interest in with the permission of the Small Industries Bank and the subscriber has refunded, to the Small Industries Bank the amount withdrawn by him, he shall be eligible for a fresh withdrawal from the fund, subject to the other proisions of these regulations.

(20) Limits and Conditions as to withdrawal.— (i) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clause (a) or sub-clause (4) of caluse (b) of sub-regulation (ii) of Regulation 19 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of his own subscriptions and the interest thereon or six months' pay ('pay' as defined in the Explanation to regulation 9) whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4ths of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber and (iii) the amount of his own subscriptions and the interest thereon in the Fund.

(ii) Any sum withdrawn by a subscriber under clause (b) of sub-regualtion (ii) of Regulation 19 [except sub-clause (4) of that clause] shall not exceed his own subscriptions and interest thereon.

Provided that in a case where both the husband and wife are employees of the Small Industries Bank subscribing to the Fund and are each others nominees, the aggregate of the advance and withdrawal that can be availed of by both of them for the purpose of acquiring one house in the name of either shall not exceed such amount that may be specified by the Small Industries Bank from time to time as available to a single subscriber.

(iii) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under sub-regualtion (ii) of Regulation 19 shall satisfy the Small Industries Bank within a reasonable period as may be specified by the Small Industries Bank that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn, shall be forthwith repaid in one lump sum together with interest thereon at the rate determined under Regulation 13, by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the Small Industries Bank to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Small Industries Bank.

(21) Conversion of advance into withdrawal.—A subscriber who has been granted an advance under Regulation 15 or Regulation 16 for any of the purposes specified therein, may be permitted by the Small Industries Bank to convert the balance outstanding against such advance into a withdrawal under Regula-

tion 19 on his satisfying the relative conditions laid down in that Regulation.

(22) Sanctioning authority and delegation of powers.—(i) The Administrators may, subject to such conditions as they may think fit to impose, delegate to any officer of the Small Industries Bank as they may specify in this behalf all or any of the powers conferred upon them by these Regulations with the exception of the powers conferred by Regulation 5 and the proviso to Regulation 7(iii)(b).

(ii) Without prejudice to the provisions of sub-Regulation (i) :

(a) An advance under Regulation 15 or Regulation 16 upto six months' pay of the subscriber or one-half of the subscriber's own subscriptions and interest thereon, whichever is higher, may be sanctioned by the General Manager and any other advance from the Fund may be sanctioned by an Executive Director or Managing Director;

(b) Withdrawals under the first proviso to sub-regualtion (i) of Regulation 19 may be sanctioned by the General Manager;

(c) Withdrawals under the second proviso to sub-regulation (i) of Regulation 19 up to six months' pay of the subscriber or one-half of the subscriber's own subscriptions and interest thereon, whichever is higher, may be sanctioned by the General Manager and any other withdrawal under that Regulation may be sanctioned by an Executive Director or Managing Director.

(iii) For the purpose of this Regulation—

(a) "General Manager" includes a Deputy General Manager and a Manager;

(b) "Pay" has the same meaning as in the Explanation to Regulation 9.

(23) Nominations.—(i) Every subscriber shall nominate in Form 2 annexed to these Regulations one or more members of his family to whom the amount standing at his credit in the Fund shall be payable in the event of his death. A subscriber who has no family shall nominate a person in Form 3 annexed to these Regulations provided that such nomination shall be valid only for so long as the subscriber has no family and that if a member subsequently acquires a family he shall formally cancel the previous nomination and nominate a member of the family in Form 2.

Provided that any nomination made under the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulation by the transferred employee shall be deemed to be a nomination made under this Regulation.

(ii) A subscriber may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the Fund amongst his nominees at his own discretion.

(iii) A nomination may be cancelled by a subscriber and replaced by any nomination which is permitted to be made under this Regulation.

(iv) No nomination or notice of cancellation shall be effective unless it has been receivd in the Head Office of the Small Industries Bank while the subscriber is still in the service of Small Industries Bank and has been registered in the books of the Funds.

(v) Without prejudice to his right under sub-regulation (iii) to cancel a previous nomination, a subscriber shall, along with every nomination made by him under this Regulation, send to the Head Office of the Small Industries Bank a contingent notice of cancellation which shall be in such one of the Forms (4 and 5) annexed to these Regulations as is appropriate in the circumstances.

Explanation I

In this Regulation, and in Regulation 25 'family' means the wife or wives, or husband and children of a subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from his or has ceased under the customary law of community to which she belongs, to be entitled to maintenance she shall no longer be deemed to be a member of the family unless the subscriber subsequently indicates by express notification in writing to the Administrator that she shall continue to be so regarded :

Provided further that if a subscriber by notification in writing to the Administrators expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband shall no longer be deemed to be a member of the family unless the subscriber subsequently cancels formally in writing her notification excluding him :

Provided further that, in cases where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber, an adopted child shall be considered as a child.

EXPLANATION II

For the purpose of this Regulation 'person' includes the Central Government, a State Government, a local authority, a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, or any person designated by virtue of office.

(24) Nomination of dependants in certain cases.—Notwithstanding anything contained is Regulation 23, a subscriber may nominate any person who is a dependant as defined in the Provident Funds Act, 1925, if the Small Industries Bank is satisfied that the making or the subsistence of a nomination in accordance with that Regulation would cause undue hardship or would not be just and equitable. Such nomination shall be made in Form 6 annexed to these Regulations.

(25) Payment on death of a subscriber.—On the death of the subscriber—

(i) When the subscriber leaves a family—

(a) If a nomination made by the subscriber in accordance with these Regulations in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to

the nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) If no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to—

(1) sons who have attained legal majority;

(2) sons of a deceased son who have attained legal majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4);

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he has survived the subscriber and if, in a case where had he survived the subscriber, he would have been excluded from a share under clause (i) of the first proviso, he had not been so excluded.

Provided further that if a nomination under Regulation 24 in favour of a dependant or dependants subsists, the amount standing to the credit of the subscriber or the part thereof to which the nomination relates shall, notwithstanding anything contained in this sub-clause, become payable to nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(ii) When the subscriber leaves no family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with these Regulations in favour of any person or persons, who is or are a dependant or dependants of the subscriber, as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, subsists, the amount standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if any such nomination subsists in favour of any person who is not a dependant as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925 the amount standing to his credit in the Fund or, as the case may be, the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to such nominee if the amount does not exceed five thousand rupees;

(c) if no such nomination subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund, the whole or as the case may be, the part thereof to which the nomination does not relate, shall become payable to any person appearing to the Administrators to be otherwise entitled to receive it, if the whole sum or, as the case may be, the part thereof does not exceed five thousand rupees;

(d) any sum or any part thereof which is not payable to any person under sub-clause (a), (b), (c) shall become payable to any person on production of probate or letters of administration evidencing the grant to him of administration to the estate of the deceased or a succession certificate in accordance with clause (c) of Section 4 of the Provident Funds Act, 1925.

Note :

When a nominee or other person is a dependant of the subscriber, as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount payable to such nominee or other person under these Regulations vests in the dependant under sub-section (2) of section 3 of the said Act.

(26) Agreement to be executed by subscribers.—Every employee on becoming a subscriber to the Fund shall execute an agreement in Provident Fund Form I annexed :

Provided that any similar agreement executed by a Transferred Employee for the purpose of the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations shall be deemed to be an agreement executed for the purpose of this regulation.

IndiaCode

Provident Fund Form I

FORM OF AGREEMENT

Regulation 26

Place ——————

Date——————

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees'
Provident Fund

Gentlemen,

I hereby declare that I have read and understood the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 and I hereby subscribe and agree to be bound by the said Regulations.

Name (in full) ——————

Date of birth ——————

Nature of appointment ——————

Salary per month——————

I am

Yours faithfully,

——————

(Signature)

Index No.——

Witness :

Signature ——————

Designation ——————

Address——————

IndiaCode

Provident Fund Form 2

Form of nomination when subscriber has a family

Regulation 23 (i)

Index No. _____

Name _____

Place _____

Date _____

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees'
Provident Fund

Gentlemen,

I hereby direct that the amount payable to me from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall be distributed among the members of my family mentioned below in the manner shown against their names :—

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the subscriber	Age of the nominee	Amount or share of accumulations
1	2	3	4

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Witness :

(1) _____

Designation _____

Address _____

(2) _____

Designation _____

Address _____

Subscriber's signature verified by me

P. Manager

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

IndiaCode

Provident Fund Form 3

Form of nomination when subscriber has no family
Regulation 23(i)

Index No. ——————————

Name ——————————

Place ——————————

Date ——————————

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees'
Provident Fund

Gentlemen.

I hereby declare that I have no family and direct that the amount payable to me from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall, in the event of my having no family, be distributed among persons mentioned below in the manner against their names :—

Name and address of the anominee or nominees	Relationship, if any, with the subscriber	Age of the nominee	Amount or share of accumulations
1	2	3	4

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Witness :
(1) ——————————

Designation ——————

Address ——————

(2) ——————————

Designation ——————

Address ——————

Subscriber's signature
verified by me

P. Manager

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

IndiaCode

Provident Fund Form 4

Contingent Notice of Cancellation

Regulation 23(v)

(Where nomination is in favour of one or more members of the subscriber's family)

Without prejudice to my right under sub-regulation (iii) of Regulation 23 of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the person/any of the persons nominated thereunder predeceasing me, the said nomination shall forthwith stand cancelled in so far as it relates to the rights conferred upon such person/any of such persons.

Dated this ———— day of ———— 19 ———— at ————

Signature of Subscriber————

Two witnesses to signature :

1. ————

2. ————

Provident Fund Form 5

Contingent Notice of Cancellation

Regulation 23(v)

(Where nomination is in favour of one or more persons not being members of the subscriber's family)

Without prejudice to my right under sub-regulation (iii) of Regulation 23 of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1970 to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the person any of the persons nominated thereunder predeceasing me, the said nomination shall forthwith stand cancelled in so far as it relates to the rights conferred upon such person/any of such persons.

Dated this ———— day of ———— 19 ———— at ————

Signature of Subscriber————

Two witnesses to signature :

1. ————

2. ————

IndiaCode

Provident Fund Form 6

Form of nomination to be completed when the subscriber has a family but wishes to nominate a dependant in terms of Regulation 24.

Index No. ——————

Name ——————

Place ——————

Date ——————

To

The Administrators of the
Small Industries Development
Bank of India Employees
Provident Fund

Gentlemen,

I hereby direct that the amount payable to me from the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund at the time of my death shall be distributed among my dependents mentioned below in the manner shown against their Names:—

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the subscriber	Age of the nominee	Amount or share of accumulations	Reasons for nominating dependant when the subscriber has a family
1	2	3	4	5
W				
W				
W				

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Witness :

(1) ——————

Designation ——————

Address ——————

(2) ——————

Designation ——————

Address ——————

Subscriber's signature verified by me

——————

P. Manager

Note: Column 4 shall be filled in so as to cover the whole amount at credit.

Provident Fund Form 7

Form fixing rate of additional subscriptions
Regulation 9 (ii)

Place ——————

Date ——————

To

The Manager,
Small Industries Development
Bank of India

Sir,

I hereby request that in terms of Regulation 9 (ii) of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 per cent of my pay be deducted every month as my voluntary additional subscription to the Provident Fund, the first of such deductions to be made from my pay for the month of 19

I am
Yours faithfully,

(Signature)

Name ——————

Designation ——————

Index No. ——————

Provident Fund Form 8

(Form fixing rate of subscription)
Regulation 9(i)

Place ——————

Date ——————

To

The Manager
Small Industries Development
Bank of India

Sir,

I hereby direct under Regulation 9(i) of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 that ——— per cent of my pay may be deducted every month as my subscription to the Provident Fund.

I am
Yours faithfully,

Signature

Name ——————

Designation ——————

Index No. ——————

R.S. AGRAWAL, Managing Director

Note:—Certified that Industrial Development Bank of India have given approval to Small Industries Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1990 vide their letter dated August 31, 1990.

Manager (Legal)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990

IndiaCode